| | |
|---|---|
| दिनांक 24.08.2020 | |
| प्रेस विज्ञप्ति 32/20 | |

# मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

## जनपद बलिया/थाना कोतवाली

- **पुलिस कार्यवाही में 50 हजार रू0 का पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा, 01 जीवित व 01 खोखा कारतूस आदि बरामद**

दिनांक 24.08.2020 को थाना कोतवाली पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर जनेश्वर मिश्र सेतु के पास बदमाश की घेराबंदी की गयी तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी पुलिस कार्यवाही के उपरांत पुरस्कार घोषित अपराधी मंजीत को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा, 01 जीवित व 01 खोखा कारतूस आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना बांसडीह रोड पर पंजीकृत मु0अ0सं0 190/2020 धारा 302/307/120 बी भादवि में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु आजमगढ़ परिक्षेत्र से 50 हजार रू0 का पुरस्कार घोषित था।

इस संबंध में थाना कोतवाली पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**गिरफ्तार अभियुक्त**

1–मंजीत निवासी टकरसन थाना बांसडीह रोड बलिया।

**बरामदगी**

1–01 अवैध तमंचा, 01 जीवित व 01 खोखा कारतूस आदि।

## **एसटीएफः उ0प्र0 ने जनपद लखनऊ में घटतौली करने वाले इलेक्ट्रानिक तराजू (Electronic Weighing Machine) बनाने की फैक्ट्री का किया भण्डाफोड़, फैक्ट्री संचालक गिरफ्तार।**

**दिनॉकः 24–08–2020 को एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को जनपद लखनऊ में घटतौली करने वाले इलेक्ट्रानिक तराजू (Electronic Weighing Machine) बनाने की फैक्ट्री का किया भण्डाफोड़, फैक्ट्री संचालक को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।**

**गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः–**

1. अशफाक अली पुत्र असद अली नि0 551 एके/453 आजाद नगर, थाना–कृष्णानगर, लखनऊ।

**फैक्ट्री में सील किये गये उपकरणः–**

1. लगभग 172 निर्मित व अर्धनिर्मित इलेक्ट्रानिक तराजू।
2. फैक्ट्री में भारी मात्रा में इलेक्ट्रानिक तराजू बनाने का उपकरण।

एसटीएफ, उ0प्र0 ने दिनांक 22.08.2020 को जनपद लखनऊ व जनपद बाराबंकी में इलेक्ट्रानिक तराजू में चिप व रिमोट लगाकर घटतौली करने वाले गिरोह के 05 सदस्य को गिरफ्तार किया गया था। उनसे घटतौली हेतु प्रोग्राम्ड मदरबोर्ड लगी इलेक्ट्रानिक तराजू, अतिरिक्त चिप, रिमोट व अन्य उपकरण बरामद किया गया था। जिनके विरूद्ध थाना लोनी कटरा, जनपद बाराबंकी पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। गिरफ्तार अभियुक्तों से की गयी पूछताछ एवं अभिसूचना संकलन से प्राप्त तथ्यों के सम्बन्ध में एसटीएफ टीम द्वारा भौतिक सत्यापन किया जा रहा था।

अभिसूचना संकलन के दौरान ज्ञात हुआ कि विभिन्न जगहो पर छोटी व बड़ी ऐसी फैक्ट्रिया संचालित हैं, जिसमें घटतौली हेतु प्रोग्राम्ड मदरबोर्ड लगाकर इलेक्ट्रानिक तराजू बनाया जाता है, जिसके मदरबोर्ड को इस प्रकार से डिजाईन किया गया है कि वह एक ही सामान का वजन को उसके सही वजन से अधिक या कम डिस्प्ले पर तराजू मालिक की इच्छा अनुसार प्रदर्षित कर सकती है तथा केवल एक बटन को दबाने से अथवा रिमोट की सहायता से क्षण भर में उसके सही वजन को भी तत्काल डिस्प्ले कर सकती है। इस सम्बन्ध में श्री अमिताभ यश, पुलिस महानिरीक्षक, एसटीएफ, उ0प्र0 व श्री विशाल विक्रम सिंह, प्रभारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0, उ0प्र0 लखनऊ ने ऐसी फैक्ट्रियों को चिन्हित कर कार्यवाही करने हेतु श्री अमित कुमार नागर, पुलिस उपाधीक्षक, एसटीएफ, उ0प्र0 लखनऊ के नेतृत्व में टीम गठित कर इस विषय में अभिसूचना संकलन कर कार्यवाही करने हेतु निर्देषित किया गया।

अभिसूचना संकलन के दौरान ज्ञात हुआ कि जनपद लखनऊ के थाना कृष्णानगर क्षेत्र में एक इलेक्ट्रानिक तराजू बनाने की फैक्ट्री है, जिसमें अवैध इलेक्ट्रानिक तराजू बनाया जाता है। इस सूचना पर श्री अमित कुमार नागर, पुलिस उपाधीक्षक, एसटीएफ, लखनऊ के नेतृत्व में उ0नि0 विनोद सिंह, मु0आ0 अषोक गुप्ता, मु0आ0 राजेष मौर्या, मु0आ0 अंजनी यादव मु0आ0 रूद्र नारायण, आरक्षी अशोक राजपूत की एक टीम गठित कर अपर नगर मजिस्ट्रेट–06, लखनऊ को साथ लेकर मुखबिर के बताई हुई सूचना पर थाना कृष्णानगर क्षेत्र के लिए प्रस्थान किया गया तथा स्थानीय पुलिस को साथ लेकर मुखबिर के बताये हुए स्थान पर पहुॅचकर देखा गया तो वहॉ यूनिक नाम की फैक्ट्री चल रही थी, जिसमें भारी मात्रा में निर्मित/अर्धनिर्मित इलेक्ट्रिानिक तराजू व अन्य उपकरण रखे थे। जिसके बारे में पूछा गया तो वहॉ मौजूद व्यक्ति अशफाक अली उपरोक्त ने बताया कि वह इस फैक्ट्री का संचालक है। जिसमें घटतौली करने वाला मदरबोर्ड लगाकर अवैध इलेक्ट्रिानिक तराजू बनाये जाते है। जिस पर अशफाक अली को गिरफ्तार कर फैक्ट्री को सील कर दिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि उसकी फैक्ट्री में घटतौली करने वाला मदरबोर्ड लगाकर इलेक्ट्रानिक तराजू बनाये जाते है, जिसमें अतिरिक्त चिप लगाकर उसे रिमोट के माध्यम से और अधिक छिपाकर संचालित कर घटतौली की जा सकती है। इस इलेक्ट्रानिक तराजू को बनाने के लिए उसके पार्ट को दिल्ली, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेष आदि जगहो से मंगाकर ऐसे इलेक्ट्रानिक तराजू तैयार कराकर उत्तर प्रदेष व अन्य प्रदशों के जनपदों में घटतौली करने वाले लोगो को उनकी मांग पर बेचता हूॅ और

उनको घटतौली करने हेतु तराजू को प्रयोग करने का तरीका भी बताता हूँ। साथ ही यह भी बताया कि प्रदेश के विभिन्न जनपदों में घटतौली करने वाले इलेक्ट्रानिक तराजू की मांग होने पर देष के कई जगहो पर इस तरह की छोटी व बड़ी फैक्ट्रिया चल रहीं है। अभियुक्त के द्वारा दी गयी इस सूचना का भौतिक सत्यापन पूर्व से ही किया जा रहा है, जिसके उपरान्त अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

गिरफ्तार अभियुक्त को थाना लोनी कटरा बाराबंकी पर पंजीकृत मु0अ0सं0 213/2020 में दाखिल किया गया है, अग्रिम विविध कार्यवाही विवेचक/स्थानीय पुलिस द्वारा की जायेगी।

————————

| |
|---|
| **दिनांक 24.08.2020** |
| **प्रेस विज्ञप्ति 31/20** |

# मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

## पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा कोरोना वायरस से रोकथाम हेतु निर्गत एडवाइजरी के दृष्टिगत की गयी कार्यवाही का विवरण

श्री एच0सी0 अवस्थी, पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, पुलिस आयुक्त लखनऊ, गौतमबुद्धनगर, परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/ पुलिस उपमहानिरीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, प्रभारी जनपद उ0प्र0 को शासन द्वारा प्रदेश भर में कोरोना वायरस के रोकथाम हेतु निर्गत एडवाइजरी के दृष्टिगत कार्यवाही किये जाने के क्रम में निर्देश दिये गये है।

**उक्त क्रम में अब तक की कार्यवाही का विवरण निम्नवत है:—**

- चालान किये गये वाहनों की संख्या — 3505011
- सीज किये गये वाहनों की संख्या — 69278
- वसूले गये शमन शुल्क की धनराशि **रू0** — **67,76,20,089**

- धारा 188 भादवि के तहत पंजीकृत अभियोगों की संख्या – 200817
- ई0सी0 एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत अभियोगों की संख्या – 817

**<u>सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्मो पर किये गये आपत्तिजनक/भ्रामक पोस्टों/मैसेज/वीडियो आदि के सम्बन्ध में प्रदेश में माह अगस्त (दिनांक 01.08.2020 से 20.08.2020 तक) में की गयी कार्यवाही</u>**

सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्मो ट्वीटर, व्हाट्एप्प, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब आदि पर किये गये आपत्तिजनक/भ्रामक पोस्टों/मैसेज/वीडियो आदि के सम्बन्ध में प्रदेश में माह अगस्त (दिनांक 01.08.2020 से 20.08.2020 तक) में कुल 45 आपत्तिजनक पोस्टों को रिपोर्ट कर हटवाया गया तथा 153 अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

## जनपद बुलन्दशहर/थाना कोतवाली देहात

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रू0 का पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **01 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 23/24.08.2020 की रात्रि थाना कोतवाली देहात पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ट्रांसपोर्ट नगर में बिजलीघर के सामने चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किय गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायर कर दिया। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ की गयी कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अपराधी मुकेश उर्फ मुक्की घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। मौके से 01 अन्य बदमाश फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस व 01 मोटर साइकिल बरामद हुई ।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद के विभिन्न थानों में चोरी, लूट, हत्या का प्रयास व आर्म्स एक्ट आदि के 08 अभियोग पंजीकृत हैं एवं अभियुक्त थाना डिबाई पर पंजीकृत मु0अ0सं0 346/2019 धारा 392 भादवि में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी पर जनपद स्तर से 25 हजार रू0 का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली देहात पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**गिरफ्तार अभियुक्त**

1. मुकेश उर्फ मुक्की निवासी ग्राम धामनी थाना जहॉगीराबाद जनपद बुलन्दशहर।

**बरामदगी**

1. 01 अवैध तमंचा 315 मय जीवित/खोखा कारतूस
2. 01 मोटर साइकिल ।

## जनपद अलीगढ़/थाना जवां

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रू0 का पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद**

दिनांक 23/24.08.2020 की रात्रि थाना जवां पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर अमरौली—कलुआ मार्ग पर चेकिंग के दौरान बदमाशों की घेराबंदी की गयी तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायर कर दिया। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ की गयी कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अपराधी पिन्नू उर्फ विकार घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। मौके से अन्य बदमाश फरार हो गये, जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद के विभिन्न थानों में चोरी, हत्या का प्रयास, गैंगस्टर एक्ट, सीएस एक्ट व आर्म्स एक्ट आदि के 09 अभियोग पंजीकृत हैं एवं अभियुक्त की गिरफ्तारी पर जनपद स्तर से 25 हजार रू0 का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना जवां पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

### गिरफ्तार अभियुक्त

1. पिन्नू उर्फ विकार निवासी जाकिर नगर थाना क्वार्सी जनपद अलीगढ़।

### बरामदगी

1. 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि।

## जनपद इटावा/थाना बकेवर

- **लूट की घटना का अनावरण**
- **पुलिस कार्यवाही में 06 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के 60 हजार रू0 नकद**
- **लूट की मोटर साइकिल**
- **घटना में प्रयुक्त मारूति वैन**
- **02 अवैध तमंचे 315 बोर मय 04 जीवित/04 खोखा कारतूस आदि बरामद**

दिनांक 23/24.08.2020 को थाना थाना बकेवर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान सुनवर्षा रोड़ पर ओवर ब्रिज के पास

बदमाशों की घेराबंदी की गयी तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायर कर दिया। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ की गयी कार्यवाही में अभियुक्त 1.सौरभ घायल हो गया, जिसे अन्य 05 बदमाशों 2.गौरव, 3.अरूण, 4,गोविन्द उर्फ गोलू, 5.रजनीश, 6.सर्वेश उर्फ झल्लर सहित गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से लूट के 60 हजार रू0 नकद, लूट की मोटर, साइकिल, घटना में प्रयुक्त मारूति वैन, 02 अवैध तमंचे 315 बोर मय 04 जीवित/04 खोखा कारतूस आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 19.08.2020 को वादी की लिखित सूचना पर थाना बकेवर पर मु0अ0सं0 429/2020 धारा 392 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किय जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से बरामद मोटर साइकिल सहित नकदी आदि उक्त लूट की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना बकेवर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>**

1. सौरभ निवासी बहादुर ऊंचा अजीतमल जनपद औरैया।
2. गौरव निवासी मसनई थाना चैबिया जनपद इटावा।
3. अरूण निवासी जलोखर जनपद औरैया।
4. गोविन्द उर्फ गोलू निवासी कुलपुर जनपद औरया।
5. रजनीश निवासी समरथपुर जनपद औरया।
6. सर्वेश उर्फ झल्लर निवासी बहादुरपुर ऊंचा अजीतमल जनपद औरैया।

**<u>बरामदगी</u>**

1. लूट के 60 हजार रू0 नकद
2. लूट की मोटर साइकिल
3. घटना में प्रयुक्त मारूति वैन
4. 02 अवैध तमंचे 315 बोर मय 04 जीवित/04 खोखा कारतूस आदि

## जनपद खीरी/थाना कोतवाली सदर

- **10–10 हजार रू0 के 03 पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार**

दिनांक 24.08.2020 को थाना कोतवाली सदर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान पनगी ढाल बहराइच रोड़ पर घेराबंदी कर 10–10 हजार रू0 के 03 पुरस्कार घोषित अपराधी 1.आशिफ, 2.पाले उर्फ सलमान, 3.रामसनेही को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिनके अभियुक्त आशिफ के विरूद्ध जनपद के विभिन्न थानों में चोरी, गैंगस्टर एक्ट व आर्म्स एक्ट आदि 06 अभियोग, अभियुक्त पाले उर्फ सलमान के विरूद्ध चोरी, गैंगस्टर व आर्म्स एक्ट आदि के 11 अभियोग एवं अभियुक्त रामसनेही के विरूद्ध चोरी, गैंगस्टर एक्ट व आर्म्स एक्ट आदि के 12 अभियेाग पंजीकृत हैं। गिरफ्तार अभियुक्त थाना कोतवाली सदर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 854/2020 धारा 2(बी)(1)/3 यूपी गैंगेस्टर एक्ट में वांछित चल रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी पर जनपद स्तर से 10–10 हजार रू0 का पुरस्कार घोषित था।

गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्ध विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**गिरफ्तार अभियुक्त**

1. आशिफ निवासी रंगीलानगर थाना कोतवाली सदर जनपद खीरी।
2. पाले उर्फ सलमान निवासी पनगी खुर्द थाना कोतवाली सदर जनपद खीरी।
3. रामसनेही निवासी पनगी खुर्द थाना कोतवाली सदर जनपद खीरी।

## जनपद सम्भल/थाना कोतवाली

- **05 वाहन चोर गिरफ्तार**
- **चोरी की 28 मोटर साइकिलें**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस**
- **02 तमंचे 12 बोर मय जीवित कारतूस आदि बरामद**

दिनांक 23.08.2020 की सांय थाना कोतवाली पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान एमजीएम डिग्री कॉलेज के सामने बहजोई रोड़ से 05 अभियुक्तों 1. कमल, 2.तनवीर उर्फ गुल्लू, 3.पंचम, 4.शाहीन, 5.उमेश को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही पर चोरी की 28 मोटर साइकिलें, 01 तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस, 02 तमंचे 12 बोर मय जीवित कारतूस व कटी हुई मोटर साइकिलों के पार्टस आदि बरामद हुए।

पूछताॅछ पर गिरफ्तार अभियुक्तों ने बताया कि वह लोग दिल्ली, हरियाणा, गाजियाबाद, नोएडा आदि जनपदों में अस्पतालों, मॉल व रेलवे स्टेशनों व बैंकों के आसपास भीड़–भाड़ वाले स्थानों से वाहनों की चोरी कर, उनकी नम्बर प्लेट बदलकर व मोटर साइकिलों के पार्टस बदलकर, ग्राहक मिलने पर वाहनों को बेच देते हैं।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>**

1. कमल निवासी मौ0लाडमसराय थाना कोतवाली जनपद सम्भल।
2. तनवीर उर्फ गुल्लू निवासी मौ0भूड़ा सरायतरीन थाना हयातनगर जनपद सम्भल।
3. पंचम निवासी मौ0पीला खदाना सरायतरीन थाना हयातनगर जनपद सम्भल।
4. शाहीन निवासी मौ0पठानो वाला हयातनगर जनपद सम्भल।
5. उमेश निवासी मो0लाडमसराय थाना कोतवाली जनपद सम्भल।

**<u>बरामदगी</u>**

1. चोरी की 28 मोटर साइकिलें।
2. 01 तमतां 315 बोर मय जीवित कारतूस
3. 02 तमंचे 12 बोर मय जीवित कारतूस
4. कटी हुई मोटर साइकिलों के पार्टस आदि

## <u>जनपद अलीगढ़/थाना मडराक</u>

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के 02 ई–रिक्शा**
- **650 ग्राम नशीला पाउडर बरामद**

दिनांक 24.08.2020 को थाना मडराक पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान आगरा–अलीगढ़ रोड़ से 02 अभियुक्तों 1.गुड्डू, 2.गौरव को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से लूट के 02 ई–रिक्शा व 650 ग्राम नशीला पाउडर बरामद हुआ।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी है, जिनके विरूद्ध चोरी, लूट व एनडीपीएस एक्ट आदि के कई अभियोग पंजीकृत हैं एवं लूट की घटना के सम्बन्ध में थाना बन्ना देवी पर मु0अ0सं0 474/2020 धारा 392 भादवि का अभियोग पंजीकृत हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्ध विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**गिरफ्तार अभियुक्त**

1. गुड्डू निवासी प्रतिभा कालोनी फेस–2 चामड के पास थाना बन्ना देवी जनपद अलीगढ़।
2. गौरव निवासी दतलाना थाना सोरों जनपद कासगंज हाल पता शक्ति नगर थाना बन्ना देवी जनपद अलीगढ़।

**बरामदगी**

1. लूट के 02 रिक्शा
2. 650 ग्राम नशीला पाउडर ।

**जनपद बहराइच/थाना रूपईडीहा**

- **02 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 70 लाख रू0 कीमत की 02 किलो 350 ग्राम अवैध चरस**
- **02 बरासिंघा की सींग**
- **चोरी की 02 मोटर साइकिलें**
- **02 अवैध तमंचा मय कारतूस आदि बरामद**

दिनांक 24.08.2020 को थाना रूपईडीहा व एसएसबी की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान ग्राम माधवरामपुरवा जाने वाले रोड़ पर मोटर साइकल सवार बदमाशों की घेराबदी कर 02 शातिर अभियुक्तों 1.मैनुद्दीन, उर्फ खुर्चाली 2.कमरूद्दीन को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से लगभग 70 लाख रू0 कीमत की 02 किलो 350 ग्राम अवैध चरस, 02 बरासिंघा की सींग, चोरी की 02 मोटर साइकिलें, 02 अवैध तमंचा मय कारतूस आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जो अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर अवैध चरस व वन्य जीव के खाल आदि की तस्करी करते हैं। गिरफ्तार अभियुक्त मैनुद्दीन के विरूद्ध जनपद के विभिन्न थानों में चोरी, लूट, गैंगस्टर एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम व आर्म्स एक्ट आदि के 08 अभियोग व अभियुक्त कमरूद्दीन के विरूद्ध चोरी, लूट, डकैती, एवनडीपीएस एक्ट, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम व आर्म्स एक्ट आदि के 12 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना रूपईडीहा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>**

1. मैनुद्दीन उर्फ खुर्चाली निवासी इमामगंज थाना खैरीघाट जनपद बहराइच हाल पता सुजौली थाना रूपईडीहा जनपद बहराइच।
2. कमरूद्दीन निवासी बनकुरी थाना रूपईडीहा जनपद बहराइच।

**<u>बरामदगी</u>**

1. लगभग 70 लाख रू0 कीमत की 02 किलो 350 ग्राम अवैध चरस
2. 02 बरासिंघा की सींग
3. चोरी की 02 मोटर साइकिलें
4. 02 अवैध तमंचा मय कारतूस आदि।

## जनपद अमरोहा/थाना डिडौली

- **15 हजार रू0 का पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय कारतूस बरामद**

दिनांक 24.08.2020 को थाना डिडौली पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान चेकिंग के दौरान कपासी बार्डर के पास घेराबंदी कर 15 हजार रू0 का पुरस्कार घोषित अपराधी सलीम उर्फ गंजा उर्फ मुल्ला को घेराबंदी कर गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय कारतूस बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद के विभिन्न थानों में चोरी, लूट, हत्या का प्रयाय, गैंगस्टर एकट व आर्म्स एक्ट आदि के 05 अभियोग पंजीकृत थे एवं अभियुक्त थाना डिडौली पर पंजीकृत मु0अ0सं0 06/2020 धारा 3(1)गैंग अधिनियम में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी पर जनपद स्तर से 15 हजार रू0 का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना डिडौली पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**गिरफ्तार अभियुक्त**

1. सलीम उर्फ गंजा उर्फ मुल्ला निवासी ग्राम मांडली थाना नखासा जनपद सम्भल।

**बरामदगी**

1. 01 अवैध तमंचा मय कारतूस ।

———